[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2026 का विधेयक संख्या–10 एच०एल०ए०

हरियाणा न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2026
हरियाणा न्यायालय अधिनियम, 1918
को आगे संशोधित करने
के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. यह अधिनियम हरियाणा न्यायालय (संशोधन) ~~विधेयक~~ अधिनियम, 2026 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा न्यायालय अधिनियम, 1918 की धारा 30 की उप–धारा (2) के खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:– 1918 के पंजाब अधिनियम 6 की धारा 30 का संशोधन।

"(क) भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का केन्द्रीय अधिनियम 39) के अधीन कार्यवाहियां, जिनका निपटान जिला न्यायाधीश द्वारा नहीं किया जा सकता है।"।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

रजिस्ट्रार जनरल, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ ने राज्य सरकार को सूचित किया कि पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 (हरियाणा राज्य पर लागू) की धारा 30 में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1865 (1865 का X) तथा पुष्टि एवं प्रशासन अधिनियम, 1881 (1881 का V) का उल्लेख है, हालांकि इन्हें भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 ने निरस्त कर दिया था।

इसलिए, इस संदिग्धता को दूर करने के लिए, उच्च न्यायालय प्रशासन ने पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 (हरियाणा राज्य पर लागू) की धारा 30 की उप–धारा (2) के खंड (क) में मौजूद भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1865 (1865 का X) तथा पुष्टि एवं प्रशासन अधिनियम, 1881 (1881 का V) शब्दों की जगह "भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925" शब्द रखने की सिफारिश की है।

2. इसलिए यह बिल प्रस्तुत किया जाता है।

नायब सिंह,
मुख्य मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 2 जून, 2026.

राजीव प्रसाद,
सचिव।

अवधेय: उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 2 जून, 2026 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

अनुबन्ध

पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 से उद्धरण।

"30. कुछ कार्यवाहियों में जिला न्यायालय के क्षेत्राधिकार का अभ्यास सिविल न्यायधीश (वरिष्ठ वर्ग) और सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ वर्ग) द्वारा–

(1) उच्च न्यायालय आम या विशेष आदेश से किसी सिविल न्यायधीश (वरिष्ठ वर्ग) और सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ वर्ग) को, या किसी जिला न्यायाधीश को, उसके नियंत्रण में किसी सिविल न्यायधीश (वरिष्ठ वर्ग) और सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ वर्ग) को, आगे बताई गई किसी भी कार्यवाही या ऐसे आदेश में बताई गई किसी भी तरह की कार्यवाही का संज्ञान लेने के लिए अधिकृत कर सकता है।

(2) उप–खण्ड (1) में बताई गई कार्यवाही निम्नलिखित हैं, अर्थातः

(क) भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1865 (1865 का X) तथा पुष्टि एवं प्रशासन अधिनियम, 1881 (1881 के V) के तहत कार्यवाही, जिसे जिला न्यायाधीश निपटा नहीं सकते।

(ख) (निरस्त)

12672—H.V.S.—H.G.P., Pkl.